2/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

अपील संख्या 04/2018

दायर दिनांक—25.01.2018

1. अध्यक्ष, अग्रवाल धर्मशाला छानी बड़ी जरिये अध्यक्ष भागीरथ मल पुत्र जुगलकिशोर जाति महाजन साकिन छानी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 22.01.2018
नायब तहसीदार छानी बड़ी तहसील भादरा प्र0 सं0 1/2016 सरकार बनाम अध्यक्ष अग्रवाल धर्मशाला छानी बड़ी

उपस्थितिः— श्री नरेन्द्र कुमार जोशी, अधिवक्ता अपीलांट
राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अपीलान्ट की तरफ से निम्न प्रकार से है:—

1. अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2018 कतई विधि विरूद्व एवं गैर कानूनी ढ़ंग से पारित किया गया है जो अपीलाधीनं गैर कानूनी ढ़ंग से पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

1. यह है कि अपील से सम्बन्धित संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का छानीबड़ी ने दिनांक 14.10.2014 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की चक 5 सी.एच.एन. के ख0 नं. 92 मै0 मु0 जोहड़ तादादी 0.987 है0 व ख0 नं0 93 गै0 मु0 पाल 0.139 है0 की 3600 वर्गफुट भूमि पर अध्यक्ष श्री भागीरथ मल पुत्र लखीराम गोयल अग्रवाल धर्मशाला छानी बड़ी ने अवैध निर्माण कर धर्मशाला का पक्का मकान बना लिया है इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे एवं पटवारी हल्का छानी बड़ी की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

22.01.2018 संलग्न अपील मिसल है।

रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलान्ट का राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा–22 के अन्तर्गत नोटिस में उल्लेखित भूमि खाली करके अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 31.10.2017 को उपस्थित होकर यह हैतुक दर्शित करें कि आपको वहां से बेदखल कर दिया जावे एवं अपीलान्ट ने वाद नोटिस प्राप्त होने पर जवाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि चक नं. 5 सी.एच.सी. के मु0 नं0 92,93 में 3600 वर्गफुट भूमि पर अग्रवाल धर्मशाला छानी बड़ी का अतिक्रमण दिखाया गया है किन्तु उक्त पट्टा जसवंत सिंह (सरपंच), झिण्डुराम (सरपंच), विजय चौधरी (सरपंच) द्वारा जारी किया गया है तथा धर्मशाला सार्वजनिक है जिसका उपयोग पूरे गांव द्वारा किया जाता है तथा यह संस्था पूर्णतया सामाजिक कार्य करती है इस कारण से उक्त संस्था बाबत सभी ग्रामीणों का अतिक्रमण बाबत किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है जवाब में संलग्न ग्रामीणों की हस्ताक्षरयुक्त सूचि पेश भी की गयी तथा आबाद भूमि के पट्टा संख्या 182 दिनांक 22.11.1981 तादादी 1500 दरगज के पट्टे आबादी भूमि को दिनांक 07.07.1985 तादादी 1080 दरगज व आबादी भूमि का पट्टा दिनांक 20.05.1999 तादादी 8750 फुट की छाया प्रतियां सरपंच ग्राम पंचायत छानी बड़ी द्वारा जारी की गई पेश की एवं अपीलान्ट द्वारा जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त आई.एल.आर. हल्का द्वारा इस संस्था की रिपोर्ट ली गई तथा संस्था को सार्वजनिक मानने सम्बन्ध में विधिक परीक्षण करवाने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर हनुमानगढ़ से पत्रांक 1271 दिनांक 01.12.2014 के द्वारा पत्र का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इस सम्बन्ध में मनन किया गया तो वह निर्णय इस न्यायालय का निर्णय नहीं माना जावे एवं इस पत्रावली को लम्बित नहीं रखने का निर्णय का निश्चय किया गया है एवं तीन भिन्न–भिन्न सरपंचों द्वारा जारी पट्टों का अवलोकन करने पर पाया गया कि ये पट्टे आबादी के जारी किये गये है न कि सार्वजनिक उपयोग की जोहड़ या पाल भूमि के। ग्राम पंचायत को केवल आबादी क्षेत्र का पट्टा जारी करने का अधिकार है न कि राजस्व क्षेत्र की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर पट्टा जारी करने का। आलोच्य पट्टे आबादी क्षेत्र के है इन्हे गै0 मु0 जोहड़/पाल किस्म की सार्वजनिक उपयोग की भूमि के अधिकार पत्र के रूप मे किसी भी दशा में नहीं माना जा सकता। पटवारी हल्का के ब्यान के अनुसार ग्राम छानी बड़ी में जोहड़ पायतन पर अतिक्रमणों की ग्राम के लोगों द्वारा शिकायत करने पर नायब

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2/3

तहसीलदार छानी बड़ी के पटवारियों का सर्वे दल गठित किया जाकर भूमि की पैमाईश करवाई गई एवं रिपोर्ट स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा एवं निर्माण पटवारी हल्का द्वारा उल्लेखित भूमि पर ही एवं आलोच्य साक्ष्यों के सार्वजनिक होने के सम्बन्ध कोषाध्यक्ष श्री भागीरथ द्वारा प्रस्तुत चंदा सूची का अवलोकन किया एवं संस्था एवं संचालक सदस्यों की सूची आई.एल.आर. की रिपोर्ट देखी एवं पत्रावली के अवलोकन उपरान्त यह महसूस किया कि यह संस्था स्वतन्त्र रूप से सार्वजनिक नहीं है इस पर एक वर्ग विशेष का नियन्त्र एवं प्रभुत्व है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1132/2011 एस.एल.पी. (सी.) नम्बर 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में निर्णय दिनांक 28.01.2011 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा D.B. Civil याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में निर्णय दिनांक 02.08.2017 में भी ऐसी आलोच्य किस्म की सार्वजनिक उपयोग की भूमियों के आवंटन व नियमन आदेशों को अवैध माना गया है क्या ऐसी भूमियों से अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट आदेश प्रदान किये है एवं माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चक 5 सी.एच.एन. के खसरा 92, 93 गै0 मु0 जोहड़ एवं पाल की 3600 वर्गफुट भूमि का अतिक्रमण घोषित किया जाता है एवं राजस्व लगान का 50 गुणा तावान रूपयें 13 मात्र इनके विरूद्ध आरोपित किया जाता है एवं गैर सायल को बेदखल कर अतिक्रमण हटाने एवं भूमि कब्जे में ली जाने के आदेश पारित किये गये। जिससे व्यथित होकर अपील अपीलान्ट निम्न आधार पर प्रस्तुत कर रहा है–

(क) यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22.01.2018 कतई गलत, विधि विरूद्ध एवं विधि की अवहेलना में पारित किया गया एवं मनमाना एवं स्वैच्छाचारित निर्णय है जो ताकि अपास्तनीय है।

(ख) यह कि अग्रवाल धर्मशाला छानी बड़ी सार्वजनिक सेवा संस्थान जिला हनुमानगढ़ राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम सन् 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है तथा जो कि ग्राम छानीबड़ी के सभी सम्प्रदाय के लोगों द्वारा उपयोग एवं उपभगोग में ली जाती है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक दर्ज विशेष का नियंत्रण एवं प्रभुत्व माना जाकर निर्णय करना अधिनस्थ न्यायालय की मनोवृति सूचक करता है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्तनीय है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2/4

(ग) यह कि अग्रवाल धर्मशाला छानी बड़ी के ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टो पर बनी हुई है एवं धर्मशाला आबादी भूमि में बनी हुई है एवं उपरोक्त धर्मशाला 40–45 वर्षों से बनी हुई एवं धर्मशाला का निर्माण 3600 पर्गफुट भूमि पर अग्रवाल संस्थान द्वारा किया गया है एवं धर्मशाला का पट्टा आबादी क्षेत्र में पूर्व सरपंचो द्वारा जारी किये गये है परन्तु मातहत अदालत द्वारा इनत थ्यों पर कतई गौर नहीं किया गया।

(घ) यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8/12/2015 की कतई पालना नहीं की गई। एवं धर्मशाला की बरवक्त पैमाईश में संस्था अध्यक्ष को मौके पर बुलावाया जाना चाहिए था परन्तु मौका पर नहीं बुलाया गया है एवं मात्र टेबल रिपोर्ट पैमाईश करवा ली गई। जबकि भौतिक रिपोर्ट नहीं ली गई एव ना ही मौके की पैमाईश की गई है और ना ही कमेटी बनाई गई है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक संस्था को हटाने एवं तावान लगाने के निर्णय पारित किये वह विधि विरूद्ध एवं अपास्तनीय है।

(ड़) यह अग्रवाल धर्मशाला का 3600 पर्गफुट पर पट्टा बन हुआ है एवं ग्राम वासियों द्वारा उक्त धर्मशाला का उपयोग लिया जाता रहा है एवं अग्रवाल धर्मशाला रजिस्टर्ड संस्था है एवं माननीय अधिस्थ न्यायालय ने अब्दुल रहमान मु0 स्टेट निर्णय का हवाला देकर निर्णय पारित किया है जबकि उपरोक्त निर्णय की गलत व्याख्या कर निर्णय पारित किया गया है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक निर्णय पारित किये गये है कि सार्वजनिक संस्था की भूमि जो कि लीज पर है उनको Regulise कर दिया जाना चाहिये जबकि अधिनस्थ न्यायालय कतई गलत निर्णय पारित किया गया है जो कि अपास्तनीय है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाते हुए विद्वान नायब तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनाक 22.01.2018 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की धर्मशाला सार्वजनिक है जिसका उपयोग पुरे गांव द्वारा किया जाता है तथा यह

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

22.01.2018 संलग्न अपील मिसल है।

2/5

संस्था पूर्णतया सामाजिक कार्य करती है इस कारण से उक्त संस्था बाबत सभी ग्रामीणों को अतिक्रमण बाबत किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है। उक्त धर्मशाला छानीबड़ी के ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटो पर बनी हुई है एवं धर्मशाला आबादी भूमि में बनी हुई है परन्तु मातहत अदालत द्वारा इन तथ्यों पर कतई गौर नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता ने मैरिट के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णय उपतहसीलदार छानीबड़ी दिनांक 22.01.2018 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि उक्त रकबा गैर मुमकीन पाल व जोहड़ की भूमि है। उक्त भूमि के ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विधिसम्मत प्रतित नही होता है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी0बी0 सिविल याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में निर्णय दिनांक 02.08.2014 में भी ऐसी आलौच्य किस्म की सार्वजनिक उपयोग की भूमियों के आवंटन एवं नियमन आदेशों को अवैध माना गया है। चुकी हस्तगत अपील अपील में जो आवासीय पटटे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये है वह जोहड़ की की भूमि पायतन (पाल) पर जारी किये गये है। ऐसे विधि विरूद्ध पटटो को उक्त न्यायिक दृष्टांतों व राजस्थान काश्तकारी अधिनिय की धारा 16 के तहत आवंटनों हेतु प्रतिबन्धित भूमि होने के कारण पटटा निरस्त किया जाना उचित है। मातहत अदालत ने निर्णय पारित में कोई विधिक त्रूटि नहीं कि है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारीज की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर की कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों।

यह निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्याायालय में सुनाया गया। शामिल पत्रावली रहें।

(गुंजन सोनी आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)